प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
द्विवेदी पैराडाईज प्रा0वि0 मुँ0बादशाहपुर,
जौनपुर।

पत्रांक:बे0–2/01-1523-29 /2010–11 दिनांक 31-3-10

विषय: प्राथमिक विद्यालय की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्र0उ0वि0नि0/नगर शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक स्थायी मान्यता आदेश निर्गत तिथि से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जा रही है।

1. समुचित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाय।
2. अध्यापको/कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों के अनुसार वेतनमान दिया जाय।
3. स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें पढाई जाय।
4. विभागीय नियमों/निर्देशों का पालन किया जाय।
5. बेसिक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार तथा उसमें प्राविधानित योग्यताधारी अध्यापक नियुक्ति किये जाय।
6. बेसिक मान्यता प्राप्त विद्यालय (अध्यापक) की सेवा भर्ती नियमावली 1975 के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति आदि की जाय तथा नियमों का पूर्ण पालन किया जाय।
7. विद्यालय के पास निजी भुमि/भवन मानक के अनुसार हों।
8. विद्यालय से सम्बन्धित सभी भूमि विद्यालय के नाम होना आवश्यक है।

यदि आगामी सत्र में उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति नहीं की जाती है और इसकी आख्या इस कार्यालय में प्रमाण सहित नहीं प्रस्तुत होती है तथा किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने पर या विभागीय आदेशों का पालन न करने पर प्रदत्त मान्यता किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(धीरेन्द्र नाथ सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

उप बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर

पृ0सं0:बे0–2/01-1523-29 /2010–11 दिनांक: उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर।
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्र0उ0वि0नि0/नगर शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी।
5. अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जौनपुर।
6. पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जौनपुर।

(धीरेन्द्र नाथ सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।